न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 134/2022

काली बाई पुत्री देवा पत्नी श्रीराम जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
हाल निवास चम्बल ढीबरी तहसील पीपल्दा

.......वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादनी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

निर्णय दिनांक : 20.10.2022

दायरा दिनांकः 08.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 184 खसरा नं0 113 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 2 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 80 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम कस्तुरी पुत्री देवा दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम काली बाई पुत्री देवा है। जिसको वादनी कस्तुरी पुत्री देवा के स्थान पर काली बाई पुत्री देवा दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजों पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में काली बाई पुत्री देवा दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में कस्तुरी पुत्री देवा के स्थान पर काली बाई पुत्री देवा दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम कस्तुरी पुत्री देवा के स्थान पर काली बाई पुत्री देवा दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 08.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1466 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार कस्तुरी और काली बाई एक ही महिला के नाम है, अन्य अलग–अलग के नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादनी का सही नाम कस्तुरी उर्फ काली बाई सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादनी स्वयं एवं बाबू पुत्र देवा जाति कीर निवासी सोनवां के आधार पर शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 184 खसरा नं0 113 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 2 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 80 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम कस्तुरी पुत्री देवा के स्थान पर कस्तुरी उर्फ काली बाई पुत्री देवा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner